

**कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी जनपद कुशीनगर**

**विज्ञप्ति**

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 07.03.2019 को द्वितीय चरण की ई-लाटरी के उपरान्त अवशेष देशी शराब, विदेशी मदिरा व भांग की फुटकर दुकानों का तृतीय चरण में ई-लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन किया जाना है। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त उ०प्र० प्रयागराज के विज्ञप्ति संख्या-10858/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2019-20/लखनऊ: दिनांक फरवरी 26, 2019 के क्रम में संशोधित विज्ञप्ति संख्या-11431/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2019-20/लखनऊ: दिनांक: मार्च 08, 2019 के अन्तर्गत देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु अवशेष निम्नवत आबकारी दुकानों एवं भांग की फुटकर दुकानों का वर्ष 2019-20 हेतु ई-लाटरी प्राणाली के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त कर व्यवस्थापन कराया जाना है:-

**देशी मदिरा दुकानों का विवरण:-**

क्रमांक	शाप आई० डी०	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक एम०जी०क्यू० (36 प्रतिशत वी/वी)	बेसिक लाइसेंस फीस	वार्षिक लाइसेंस फीस	घरोहर धनराशि	प्रतिभूति धनराशि	दुकान हेतु वांछित हैसियत की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4995	कठकुईयाँ	ग्रामीण	472620	14178600	104921640	1417860	10492164	19850040
2	8204	चिरगोडा	ग्रामीण	87648	2629440	19457856	262944	1945786	3681216
3	10197	बडहरा चौराहा	ग्रामीण	111348	3340440	24719256	334044	2471926	4676616
4	10375	नरकटिया बाजार	ग्रामीण	231060	6931800	51295320	693180	5129532	9704520
5	10401	नरसर चौराहा	ग्रामीण	185292	5558760	41134824	555876	4113482	7782264
6	15920	भावपुर	ग्रामीण	117396	3521880	26061912	352188	2606192	4930632

**विदेशी मदिरा दुकानों का विवरण:-**

क्रमांक	शाप आई० डी०	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस	घरोहर धनराशि	प्रतिभूति धनराशि	दुकान हेतु वांछित हैसियत की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15937	खोदता	ग्रामीण	815000	81500	81500	815000
2	16024	डिबनी	ग्रामीण	3975000	397500	397500	3975000

**भांग की दुकानों का विवरण**

क्रमांक	शाप आई० डी०	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित वार्षिक एम०जी०क्यू०	वार्षिक लाइसेंस फीस	घरोहर धनराशि	प्रतिभूति धनराशि	दुकान हेतु वांछित हैसियत की धनराशि
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	61024	कठकुईयाँ	ग्रामीण	14	10780	1078	1843	10780
2	61048	मंसाछापर	ग्रामीण	10	10700	1070	1817	10700
3	61263	सेवरही	नगर पंचायत	10	6700	670	1150	6700

नोट:- 1- देशी शराब, विदेशी मदिरा की प्रोसेसिंग फीस रू0 18000/- एवं जी0एस0टी0 रू0 3240/- तथा भांग दुकानों की प्रोसेसिंग फीस रूपया 5000/- व जी0एस0टी0 रू0 900/- देय होगा।

2- आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं के नाम से मात्र 01 आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा साथ ही प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी आवेदक के पक्ष में जनपद कुशीनगर स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप की कुल मिलाकर 02 से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेगी, जिसमें नवीनीकृत दुकानें भी सम्मिलित है। सम्बन्धित दुकानवार वांछित हैसियत प्रमाण पत्र दिनांक 01.01.2018 के पश्चात् निर्गत ही मान्य होंगे। हैसियत प्रमाण पत्र के स्थान पर अधिकृत आयकर वैल्यूवर द्वारा निर्गत धारिता सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य हैं।

3- किसी दुकान हेतु एकल आवेदक की स्थिति में आवेदन नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर व्यवस्थापन सम्बन्धित आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा।

4- आवेदन पत्र के साथ नियमानुसार धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी जनपद कुशीनगर के पदनाम से बना हो, की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की जायेगी। चयनित आवेदकों द्वारा धरोहर धनराशि की बैंक ड्राफ्ट चयन के पश्चात् 48 घण्टे के भीतर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर में जमा करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में उनका चयन अमान्य/निरस्त कर दिया जायेगा। धरोहर धनराशि के किसी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग लॉटरी के किसी भी चरण के केवल 01 आवेदक दुकान के सम्बन्ध में ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में प्रथम आवेदन पत्र को छोड़कर शेष समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। चयनोपरान्त आवेदक द्वारा नियमानुसार देय अन्य धनराशियों समयान्तर्गत जमा करना अनिवार्य है।


उल्लिखित आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन निम्नानुसार समय सारणी के अन्तर्गत किया जायेगा:-

क्रमांक	विवरण	तिथि
01	ई-लाटरी प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि व समय	09.03.2019 को प्रातः 10:00 बजे से
02	ई-लाटरी प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि व समय	12.03.2019 को मध्याह्न 12:00 बजे तक
03	ई-लाटरी प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण	12.03.2019 से 13.03.2019 को पूर्वाह्न 10:00 बजे तक
04	ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	14.03.2019 को अपराह्न 14:00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार रविन्द्रनगर जनपद कुशीनगर में।

उक्त के अतिरिक्त दुकानवार विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

  
(राजवीर सिंह)


जिला आबकारी अधिकारी,  
कुशीनगर।

  
(डा0 अनिल कुमार सिंह)  
जिलाधिकारी,  
कुशीनगर।

संख्या 3135 / तददिनांकित। 07-03-2019

प्रति- 1- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कुशीनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञप्ति को जनपद की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

2- स्थानीय संवाददाता दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में प्रकाशित कराकर बिल सूचना कार्यालय से सत्यापित कराकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
जिला आबकारी अधिकारी,  
कुशीनगर